

2659/99

11/3/2000,

(4)

नियमावली

1 - <input checked="" type="checkbox"/> सोसाइटी का नाम	सोशल वेलफेर समिति	होगा।			
2 - सोसाइटी का प्रधान का वर्गलय	खुराहो	म.न.	16	मो.का नाम	<input checked="" type="checkbox"/> विद्याधर
कालैनी खुराहो	तहसील	राज्यगढ़	जिला	छतरपुर	मध्यप्रदेश
(3) सोसाइटी का कार्यक्षेत्र					मध्यप्रदेश होगा।
(4) सोसाइटी के उद्देश्य					(जो ज्ञापन पत्र में अंकित है वही लिखें)



1. ✓ शिक्षा के क्षेत्र में चड्ढ़मुखी विकास एवं प्रसार हेतु शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं व्यवस्था तथा संचालन करना।
2. ✓ भारतीय परंपरा एवं संस्कृति के अनुसार बालकों में आदर्श नैतिकता, चारित्र का निर्माण करना।
3. ✓ बालकों का सर्वांगीण विकास करना।
4. ✓ स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना एवं स्वरोजगार केन्द्र की स्थापना करना।
5. ✓ पर्यावरण प्रबन्ध एवं प्रदूषण नियंत्रण पर सेमीनार करना एवं चेतना केन्द्र की स्थापना करना।
6. ✓ समाज कल्याण हेतु आवश्यक जागरूकता जाग्रत करना। पशुओं पर कूरता की रोकथाम करना और उन्हें कूरता एवं अत्य चारों से बचाने के लिये पशु ग्रहों का निर्माण कराना एवं उनकी दशा सुधारना तथा उनके हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध करना।
7. ✓ आधुनिक तकनीक प्रणाली, कम्प्यूटर, खेल, संगीत, कला, साहित्य, एवं हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू एवं अन्य भाषाओं का शिक्षा के क्षेत्र में प्रसार करना।
8. ✓ शोध केन्द्रों की स्थापना करना।

अध्यक्ष

PRESIDENT
Social

Anuraj

mankumar

अधिकारी

Vidhu

- (5) सदस्यता – सोसाइटी का निम्नलिखित श्रेणी का सदस्य होगा।
- अ – संरक्षण सदस्य – सोसाइटी को जो व्यक्ति शुल्क के रूप में रुपये 10,000/- या अधिक एक मुस्त या एक साल में 12 किश्तों में देगा वह सोसाइटी का संरक्षक सदस्य होगा।
- ब – आजीवन सदस्य – जो व्यक्ति सोसाइटी को शुल्क के रूप में रुपये 5000/- या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रुपये 5000/- या अधिक संरक्षक सदस्य बन सकता है।
- स – साधारण सदस्य – जो व्यक्ति रुपये 250/- माह रुपये 3000/- प्रति वर्ष सोसाइटी को शुल्क के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य के बाल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिये उसने शुल्क दिया है। जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छह माह तक देय शुल्क नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा सोसाइटी के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया शुल्क की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।
- द – सम्मानीय सदस्य – सोसाइटी की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझें सम्मानीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं किन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा होगा।



- (6) सदस्यता की प्राप्ति – प्रत्येक व्यक्ति जो कि सोसाइटी का सदस्य बनने का इच्छुक लिखित रूप में आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत करना होगा जिसको आवेदन पत्र स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।

- (7) सदस्यों की योग्यता – सोसाइटी का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित एकता होना आवश्यक है।

- (1) आयु 18 वर्ष से कम न हो। (2) भारतीय नागरिक हो।
 (3) सोसाइटी के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो। (4) सदचारित हो तथा मद्यपान न करता हो।

- (8) सदस्यता की समाप्ति – सोसाइटी की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी।

- (1) मृत्यु हो जाने पर। (2) पागल हो जाने पर। (3) सोसाइटी को देय शुल्क की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर। (4) त्यागपत्र देने और वह स्वीकार होने पर। (5) चारित्रिक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर उसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य हो लिखित रूप में देना होगी।

- (9) सोसाइटी कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे।

- 1 – प्रत्येक सदस्य का नाम, पता, व्यवसाय तथा तारीख सहित हस्ताक्षर।
 2 – वह तारीख जिसको सदस्य को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नम्बर।
 3 – वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो।

Ashwani
अध्यक्ष
PRESIDENT
Environment & Social
Welfare Samiti
Khajuraho

mankumar
सचिव
SECRETARY
Environment & Social
Welfare Samiti
Khajuraho

Vedhans
कोषाध्यक्ष
TREASURER
Environment & Social
Welfare Samiti
Khajuraho

(10) अ— साधारण सभा — साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये ग्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी। परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समय निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 2/3 सदस्यों का होगा। सोसाइटी की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से तीन माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें सोसायटी के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा। यदि सम्बन्धित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह सोसायटी के आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा।

ब— प्रबंधकारिणी सभा — प्रबंधकारिणी सभा की बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेन्डा तथा सूचना बैठक सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक 1 घंटे के लिये स्थगित की जाकर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी।

स— विशेष — यदि कम से कम कुल सदस्य संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय विचार करने के लिये साधारण सभा की बैठक बुलाई जावेगी विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति पंजीयक को संकल्प परित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा सोसाइटी को परामर्श देने का अधिकार होगा।

(11) साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य —

- (क) सोसाइटी के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
- (ख) सोसाइटी की स्थायी निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।
- (ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षणों की नियुक्ति करना।
- (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।
- (च) सोसाइटी द्वारा संचालित संस्थाओं के आय — व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना पत्रकों को स्वीकृत करना।
- (छ) बजट का अनुमोदन करना।

(12) प्रबंधकारिणी का गठन — द्रस्टीय यदि कोई हो सोसाइटी के पदेन सदस्य रहेंगे। नियम—5 (अ, ब, स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हों बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नलिखित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

(1) अध्यक्ष (2) उपाध्यक्ष (3) सचिव (4) कोषाध्यक्ष (5) संयुक्त सचिव एवं सदस्य दो।

(13) प्रबंध समिति का कार्यकाल — प्रबंध समिति का कार्यकाल 3 वर्ष होगा। प्रबंध समिति यथोच्च कारण होने पर उस समय तक जब तक नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता। कार्य करती रहेगी। किन्तु उक्त अवधि छह माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारणसभा से करना अनिवार्य होगा।

Ahuwala

अध्यक्ष
PRESIDENT
Environment & Social
Welfare Samiti
Khajuraho

manku mali

सचिव
SECRETARY
Environment & Social
Welfare Samiti
Khajuraho

Mehndi

TREASURER
Environment & Social
Welfare Samiti



(14) प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य –

- (अ) जिन उद्देश्यों की प्रति हेतु सोसायटी का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना ।
- (ब) पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा कि बैठक में प्रस्तुत करना ।
- (स) सोसाइटी एवं उसके आधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना । सोसाइटी की चल – अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना ।
- (द) कर्मचारियों शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना ।
- (इ) अन्य आवश्यक कार्य करना जो कि साधारण सभा द्वारा समय समय पर सौंपे जाएं ।
- (च) सोसाइटी की समस्य चल अचल सम्पत्ति कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी ।
- (छ) सोसाइटी द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आन्तरिक नहीं की जावेगी ।
- (ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर सोसायटी के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार – विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी । साधारण सभा में कुल सदस्यों के 2/3 मत से संशोधन पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा ।

(15) अध्यक्ष के अधिकार – अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव द्वारा साधारण सभा में प्रबन्धकारिणी की बैठक का आयोजन करवायेगा । अध्यक्ष का मत समान मत होने विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा ।

(16) उपाध्यक्ष के अधिकार – अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा । अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा ।

(17) सचिव के अधिकार –

- (1) साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी की बैठक समय – समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हों प्रस्तुत करना ।
- (2) सोसाइटी का आय – व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना ।
- (3) सोसाइटी के सारे कागजातों को तैयार करना तथा उनका निरीक्षण करना व अनियमित्ता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबन्धकारिणी को देना ।
- (4) सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रूपये 500/- खर्च करने का अधिकार होगा ।

(18) संयुक्त सचिव के अधिकार – सचिव की अनुपस्थिति में उसके समस्त अधिकारों का उपयोग करना ।

(19) कोषाध्यक्ष के अधिकार – सोसाइटी की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना ।

(20) बैंक खाता – सोसायटी की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेगी । धन का आहरण अध्यक्ष या सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा । दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये 500/- रहेंगे ।

अध्यक्ष

PRESIDENT
Environment & Social
Welfare Samiti
Khajuraho

Anuwan

mankumari
सचिव
SECRETARY
Environment & Social
Welfare Samiti
KhajurahoMedhavij
कोषाध्यक्षTREASURER
Environment & Social
Welfare Samiti
Khajuraho

(21) पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी –

- (1) अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत सोसाइटी की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर निर्धारित फीस के साथ सोसायटी के अध्यक्ष या सचिव द्वारा कार्यकारिणी समिति की सूची फाइल की जावेगी।
- (2) अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत अप्रैल माह 30 तारीख से 90 दिन के भीतर सोसाइटी एवं संचालित संस्थाओं को संपरीक्षित आय – व्यय पत्रक आडिट रिपोर्ट तथा बेलेन्स शीट सहित निर्धारित फीस के साथ भेजे जावेंगे।

(22) संशोधन – सोसाइटी के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के $2/3$ मतों से पारित होगा यदि आवश्यक हुआ तो सोसायटी के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्मस एवं संस्थाएं को होगा। जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा। संशोधन प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर निर्धारित फीस के साथ प्रस्तुत किया जावेगा।

(23) विघटन – सोसाइटी का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के $3/5$ मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात सोसाइटी की चल तथा अचल संपत्ति राज्य सरकार में निहित होगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

(24) संपत्ति – सोसाइटी की समस्त चल तथा अचल संपत्ति सोसाइटी के नाम से रहेगी। सोसाइटी की अचल संपत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्मस एण्ड सोसाइटी की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या आन्तरिक नहीं की जा सकेगी। अनुज्ञा हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में निर्धारित फीस के साथ किया जावेगा।

(25) पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना – सोसाइटी की पंजीयक नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्मस एण्ड सोसाइटी की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही वह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

(26) विवाद – सोसाइटी में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चय या निर्णय से पक्षों का संतोष न हो तो वर रजिस्ट्रार और विवाद ओर निर्णय के लिये भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित संस्थाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

अजय सूरे

Ahuwani

PRESIDENT
Environment & Social
Welfare Samiti
Khajuraho

शशिस्वरूप रजिस्ट्रार फर्मस एवं संस्थाएँ
सागर संभाग सागर

manikumar

SECRETARY
Environment & Social
Welfare Samiti
Khajuraho

Vishwajeet

TREASURER
Environment & Social
Welfare Samiti
Khajuraho

20 Rs.



महे दैश्य पैमा. एनवापर में एं सोशल व्हेल्पर.

सनिति. स०. १६ मो० तिचाबर कोलानी, रुक्षुरा हा०, रुह०
राजस्थान गोपा. दैश्य पैमा निमान्ति के प्रक्रिया
प्रतिक्रिया के लाय संलग्न



Cancelled

18/2/2007

अजय सर

गोपनीय रजिस्टर कार्यालय
आगर संचाग सागर

४५२

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.